रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273082
CG-DL-E-02062026-273082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
No. 388]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सं. 02/2026–सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 430(अ).— जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 7/10/2025-डीजीटीआर, दिनांक 3 मार्च, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंचें है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी समाप्त होने से सब्सिडी जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत:, अब सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20, 22 और 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 9 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस राशि तक की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ मद/शीर्ष/उपशीर्ष**	**माल का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**शुल्क की राशि सीआईएफ मूल्य के % के रूप में**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541*	टेक्सचर्ड टफंड (टेम्पर्ड) कोटेड और अनकोटेड ग्लास**	मलेशिया	मलेशिया	शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	9.71%
2.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया	एसबीएच किबिंग सोलर न्यू मटेरियल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी	9.71%
3.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित सभी देश	क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	10.14%
4.	-वही-	-वही-	मलेशिया को छोड़कर कोई देश	मलेशिया	कोई	10.14%

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचारधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

*** टेक्स्चर्ड टफंड (टेम्पर्ड) ग्लास, न्यूनतम 90.5% के संचरण के साथ, जिसकी मोटाई 4.2 मिमी से अधिक नहीं (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) और जहाँ कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो। उत्पाद*

को विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे सौर ग्लास, सौर ग्लास कम लोहा, सौर पीवी ग्लास, उच्च संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्परड कम लोहा पैटर्न वाले सौर ग्लास और हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास।

नोट: उपर्युक्त सारणी के क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादक के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों को आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र संलग्न होगी, जिसमें उसका नाम और कार्य अंकित हो, जो इस प्रकार है: "*मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूँ कि एस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (उत्पाद संबंधित) की (मात्रा) मलेशिया में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूँ कि एस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।*" यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क, लागू होगा। यह जरूरत लागू कस्टम कानून और नियमों के तहत कस्टम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गई वेरीफिकेशन प्रोसेस पर कोई असर डाले बिना है।"

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगायी गयी काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी;

(ख) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है ।

[फा. सं. 190354/134/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2026

No. 02/2026-Customs (CVD)

G.S.R. 430(E).— Whereas, in the matter of "Textured Tempered Glass" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under headings 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 7/10/2025-DGTR, dated the 3rd March, 2026, has *inter alia* come to the conclusion that the cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry and has recommended continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20, 22 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2021-Customs (CVD), dated the 9th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 9th March, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty of an amount as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff Heading/ Sub-heading**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty amount as % of CIF value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541*	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass**	Malaysia	Malaysia	Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	9.71%
2.	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD	9.71%
3.	-do-	-do-	Malaysia	All country including Malaysia	Any Producer other than producer mentioned in Sl. No. 1 & 2	10.14%
4.	-do-	-do-	Any Country other than Malaysia	Malaysia	Any	10.14%

* *The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

*** Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The product is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass and heat strengthened glass.*

Note: The application of the individual duty rates specified for the producer mentioned in the Sl. No. 1 and 2 in the Table above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which there shall be affixed a declaration, dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, as follows: "*I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in Malaysia. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.*" If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation.* –** For the purposes of this notification,-

(a) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act;

(b) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/134/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA